न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 69 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/178

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
फुलचन्द पुत्र श्री बोदूराम, जाति बावरी, निवासी करणी माता मन्दिर के पास, माताभर रोड़, मकराना।		1. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, परबतसर 2. मनीष पुत्र श्री नन्दलाल अग्रवाल, निवासी सुभाष नगर, मकराना। 3. संग्रामसिंह पुत्र श्री गंगासिंह राजपुत, निवासी मंगलाना। 4. महावीर गौड़ पुत्र श्री जेठमल गौड़, निवासी तेजा कॉलोनी मकराना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.11.2022 जो तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 20 / 2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट उनवान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर बनाम फुलचन्द वगैरह में पारित किया

उपस्थितः–

1. श्री बलजीत सिहं वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री वी. पी. सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।
3. श्री रणजीत बलारा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।
4. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर स्वयं।

–:निर्णयः–

दिनांकः 03.09.2024

अपील के तथ्य संक्षेप में इस इस प्रकार है कि :–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, परबतसर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 4 व अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर उसमें लिखा कि ग्राम मंगलाना के खाता संख्या 639 रकबा 1.5620 हैक्टेयर जो कि सिंचाई विभाग की खातेदारी व स्वामित्व में है, में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है जिसको हटाने हेतु मौखिक रूप से एवं लिखित नोटिस देने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया हैं प्रार्थी की खातेदारीसुदा भूमि गै. मु. नहर है प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर बेदखल किया जावें। अक्त आवेदन किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया, आवेदन पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक 11.10.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 4/अप्रार्थीगण व अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट फुलाराम जिसे प्रकरण में फुलचन्द नाम से पक्षकार बनाया, ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 31.10.2022 को उपस्थिति दी, दिनांक 22.11.2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमाराम जी बुगालिया ने जवाब प्रस्तुत कर दिया, उसी दिन दिनांक 22.11.2022 को योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04) व अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश दे दिये एवं इन आदेशों की आड़ में श्रीमती धन्नीदवी व सत्यप्रकाश के खेत खसरा संख्या 559 की उत्तरी तरफ की सम्पूर्ण पक्की दीवार व पूर्वी तरफ की करीब 26 फीट पक्की दीवार जो माह जून 1992 में बनाई गई थी, को तोड़ दिया, एवं उन्हें लाखों रूपयों का नुकसान कर दिया। अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी मानकर अतिक्रमी घोषित किया गया हैं अतः अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित हैं अतः यह अपील प्रस्तुत हैं जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं :–

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 को पारित करने में योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर द्वारा तथ्य एवं विधि की भूल की गई है।
2. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 को पारित करने से पूर्व स्वयं तहसीलदार परबतसर अथवा अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार/ भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का आदि के मार्फत यह जाँच ही नहीं की कि उक्त तथाकथित दीवार (जिसे अतिक्रमण बताया गया) किसकी हैं, किसने बनाई हैं एवं वहां कौन काबिज हैं, मौके पर श्री धन्नीदेवी व सत्यप्रकाश का कब्जा व खेत हैं जिन्हें प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। अपीलान्ट को जो नोटिस प्राप्त हुआ था उसमें किसी खसरा विशेष में अतिक्रमण करने का आरोप नहीं था उसमें केवल यह लिखा था कि मंगलाना के खाता संख्या 639 की गै.मु. नहर की भूमि में आपने अतिक्रमण किया हैं, नोटिस के साथ किसी प्रार्थना पत्र/शिकायत/टी.पी. की प्रति भी नहीं थी एवं तारीख पेशी भी दिनांक 30.10.2022 की थी जिस दिन अवकाश था, अपीलान्ट ने श्री प्रेमारामजी बुगालिया वकील साहब को नियुक्त किया व उनको बता दिया कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं एवं नहर से हमारे खेतों का सीमाज्ञान करवा दो तथा मेरा जवाब पेश कर दो तब वकील साहब ने मेरा जवाब पेश कर दिया, हालांकि उन्होंने सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही यह कहकर नहीं की कि अभी खेतों में फसले खड़ी हैं तथा सीमाज्ञान हेतु अपीलान्ट व अपीलान्ट के पड़ोसियों धन्नीदेवी व सत्यप्रकाश के हस्ताक्षर वकालतनामा व सीमाज्ञान आवेदन पर करवा लिये। योग्य अधीनस्थ अदालत में अपीलान्ट ने अपने जवाब में यही लिखा कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। योग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट की प्रस्तुत जवाब में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

लिखे तथ्यों पर गौर नहीं करने में भारी चूक की हैं, अपीलान्ट को प्राप्त जानकारी के अनुसार तथाकथित गै.मु. नहर के खसरा संख्या 560 पर काबिज अतिक्रमियों व कुछ अन्य लोगों ने सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर के कार्मियों से मिलीभक्ति कर सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर से गलत आवेदन करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया हैं जो गलत तथ्यों पर आधारित हैं अतः काबिले निरस्त है।

3. अपीलाधीन निर्णय में सभी अप्रार्थीगण का नाम तक नहीं लिखा गया हैं, यह निर्णय विधिनुसार हैं ही नहीं, काबिले निरस्त हैं।

4. अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पूर्व योग्य अधीनस्थ अदालत ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शे को नहीं देखने में चूक की हैं अपीलाधीन निर्णय विधिनुसार नहीं हैं, काबिले निरस्त है।

5. अपीलाधीन निर्णय में मंगलाना के खाता संख्या 639 की 1.5620 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 4 को अतिक्रमी घोषित बताया गया है, निवेदन हैं कि खाता संख्या 639 में चार खसरे खसरा संख्या 185, 240, 560 व 599 हैं अब किस–किस खसरे में किस–किस अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट ने कितनी–कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया हैं, अतिक्रमण की प्रकृति क्या हैं, अतिक्रमण क्षेत्र का नाप क्या हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आवेदन में कुछ भी अंकित नहीं हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी अपने आवेदन में खाता संख्या 639 की भूमि में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण करना ही बताया हैं, जबकि तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 में किसी भी अप्रार्थी द्वारा निर्माण करने की बात अंकित ही नहीं हैं, योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं करने में भारी चूक की है। यह निर्णय विधिनुसार नहीं हैं, काबिले निरस्त है।

6. योग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट फुलाराम की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों पर भी गौर नहीं किया, यहां तक कि उनके जवाब में लिखे तथ्यों पर एक भी शब्द नहीं लिखा गया, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करने में एवं अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करने में भारी चूक की हैं अपीलान्ट 83 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक व मकराना क्षेत्र का इज्जतदार व्यापारी हैं, अपीलान्ट के जीवनकाल में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई फौजदारी मामला नहीं हुआ न ही अन्य किसी भी प्रकार अतिक्रमण का मामला दर्ज हुआ, अपीलान्ट का नाम फुलाराम की बजाय फूलचन्द लिखा गया, गै.मु. नहर के आस–पास अपीलान्ट का कोई खेत/कब्जा है ही नहीं योग्य अधीनस्थ अदालत ने बिना देखे जांचे अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर अपीलान्ट को आपराधीक श्रेणी के व्यक्ति में डाल दिया है जो बिल्कुल गलत हैं इससे अपीलार्थी अपनी स्वयं की मानहानि भी महसूस करता हैं, यह निर्णय विधिनुसार नहीं हैं, काबिले निरस्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

7. योग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलाधीन निर्णय में सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर के प्रार्थना पत्र को टी.पी. रिपोर्ट मानने में भी चूक की हैं, उक्त प्रार्थना पत्र टी.पी. रिपोर्ट नहीं हो सकता, सहायक अभियन्ता को टी.पी. करने का अधिकार ही नही हैं पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक/नायब तहसीलदार द्वारा जाँच नहीं करवाई गई, भूमि का नाप नहीं करवाया गया एवं स्वयं तहसीलदार परबतसर द्वारा भी मौका निरीक्षण नहीं किया गया, सहायक अभियन्ता की गलत एवं अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं जो किसी भी विधि/नियम के तहत जायज नहीं है।

8. योग्य अधीनस्थ अदालत ने प्रार्थी सहायक अभियन्ता के आवेदन को बिना जाँचे, बिना साक्ष्य लिये, बनाये गये अप्रार्थीगण को भी साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश दे दिये एवं निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखली हेतु स्वयं शिकायतकर्ता सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर को ही अधिकार दे दिया एवं 7 दिवस में ही पालना करने के भी आदेश दे दिये, योग्य अधीनस्थ अदालत का उक्त निर्णय मनमाना हैं, विधि विरूद्ध हैं, नैसर्गिक न्याय के सिदान्तों के खिलाफ है। निर्णय की पालना में भैतिक रूप से बेदखली हेतु स्वयं शिकायतकर्ता सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर को ही अधिकार देने का आदेश दे दिये जो कि उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है।

9. चूंकि अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध था व हैं एवं इस बात की जानकारी स्वयं सहायक अभियन्ता को थी कि उन्होंने गलत निर्णय करवा लिया हैं इसीलिये सहायक अभियन्ता स्वयं ने श्रीमती धन्नीदेवी व सत्यप्रकाश की दीवार नहीं तोड़कर स्वयं राजस्व विभाग व पुलिस के जाब्ते साथ लेकर श्रीमती धन्नीदवी व सत्यप्रकाश की दीवार बदनियती पूर्वक व अन्य भूमाफिया लागों के इशारे पर तुड़वाई।

1. उक्त प्रकरण में दिनांक 22.11.2022 को निर्णय किया गया हैं लेकिन अपीलान्ट के वकील साहब ने अपीलान्ट को इस निर्णय के बारे में नहीं बताया, दिनांक 13.12.2022 को अपीलाधीन निर्णय की आड़ में श्रीमती धन्नीदेवी व सत्यप्रकाश के खेत की देवार तोड़ दी गई, उक्त दीवार तोड़ने पर अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि आपका जब आस–पास कोई खेत हैं ही नहीं तो आपके विरूद्ध आदेश होने से अपको क्या नुकसान हो रहा हैं तो अपीलान्ट चुप रहा लेकिन दिनांक 23.12.2022 को जब अपीलान्ट को यह मालूम हुआ कि इस प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमण का देषी माना हैं तब अपीलान्ट ने भी उक्त प्रकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय की प्रति निकलवाई एवं यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील [illegible] अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीलस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. राज्य सरकार जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर बनाम फुलचन्द वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 04 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा अपील निरस्त करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त निर्णय विधिअनुसार है तथा अपीलान्ट ने नहरी जमीन पर अतिक्रमण किया है जिसे विधि अनुरूप ही हटाया गया है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 में खाता सं0 639 पर कब्जा होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध 91 की रिपोर्ट जो कि सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर द्वारा तहसीलदार परबतसर को प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट में भी मात्र खाता सं0 639 का उल्लेख किया गया। किस खसरे पर अतिक्रमण है इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण की जांच किसके द्वारा कराई गई, अतिक्रमण किस प्रकार सिद्ध हुआ ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में महावीर गौड, मनीष पुत्र नन्दलाल एवं फुलचन्द पुत्र लादुराम को नोटिस जारी करना स्पष्ट है। यद्यपि निर्णय में मात्र फुलचन्द का ही उल्लेख है। फुलचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त जवाब में फुलचन्द द्वारा उसका कब्जा उसके द्वारा खरीद की गई भुमि पर ही होने का उल्लेख किया था तथा सीमाकंन का भी निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस जवाब का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 15.11.2022 को अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु समय दिया गया परन्तु उसके पश्चात अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 22.11.2022 को निर्णय सुनाया गया। पत्रावली में जवाब का अवसर बन्द किया गया अथवा अपील में अप्रार्थीगणों को दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया इस बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण बाबत पूर्ण जांच नहीं की गई। अपीलांट का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब की विवेचना पूर्णतया नहीं की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का मुकदमा नम्बर 20/2022 उनवान सहायक अभियन्ता बनाम फुलचन्द निर्णय दिनांक 22.11.2022 को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सिंचाई विभाग के खसरें एवं अपीलांट के खसरों का सीमाकंन कर तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **03.09.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

(बाल मुकुन्द असीवा, **IAS**)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested